**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 115 सन 2019

अनवान :–

1. शलेन्द्र कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

**बनाम**

1. मोहनलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. मनोज पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. बेवी पुत्री मोहनलाल पत्नि दलवीर जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. कौशल्या पुत्री मोहनलाल पत्नी रणधीरसिह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. मंजु देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।**

उपस्थित : श्री हरिसिह पुनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन– ए के प0न0 348/403(15) के किला न0 2 ता 5 ,10/1 की कुल 1.1127हैक किला न0 0 की 0.0250हैक गै0मु0 रास्ता भूमि एवं रोही मौजा दलपतपुरा के खसरा न0 81/3 की 4.7300हैक भूमि तथा खसरा न0 50 की 5.0990हैक व खसरा न0 176 की 2.6300हैक कुल 7.6890हैक भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबल के नाम से दर्ज थी वादी के दादा बीबरल के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र पर औद हुई थी और वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमे वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने कि हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय मे उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहना है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष मे किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में

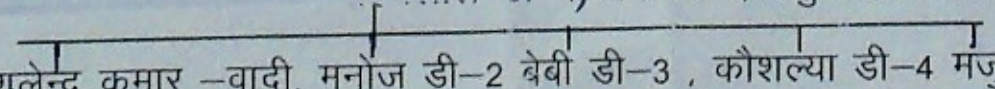

शलेन्द्र कुमार –वादी, मनोज डी–2 बेबी डी–3 , कौशल्या डी–4 मंजु देवी–डी–5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A4

दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि मे उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बहगी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 15 जेएसएन – ए के प0न0 348/403(15) के किला न0 2 से 5 व 10/1 की कुल 1.1127हैक एव रोही मोजा दलपतपुरा के खसरा न0 81/3 की 4.7300हैक . भूमि मे वादी का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब मानि प्रत्येक 1/2 हिस्सा है तथा रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 302/288 के खसरा न0 50 की 5.0590हैक व खसरा न0 176 की 2.6300हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है।इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजलास प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलना शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

शलेन्द्र कुमार –वादी, मनोज डी–2 बेबी डी–3 , कौशल्या डी–4 मंजू देवी–डी–5

A4